निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी मे) सभा पटल पर रखता हू :-

(i) 1989-90 के वर्ष के लिये वाटर एंड पावर कसलटसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का ईक्कीसवा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओ पर लेखापरीक्षको के प्रतिवेदन तथा उस पर भारत के नियत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियो सहित ।

(ii) उपयुक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करने हुये सरकार द्वारा विवरण ।

[पुस्तकालय मे रखी गई (i) और (ii) के लिये देखिये स एल टी॰ 1576/90]

Report and Accounts (1989-90) of the Housing and Urban Development Corporation Limited, New Delhi and related papers.

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : महोदया, मै कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी मे) सभा पटल पर रखता हू:-

(i) 1989-90 के वर्ष के लिये हाउसिंग एड अरबन डेवलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन तथा उस पर भारत के नियत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ii) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय मे रखी गई (i) और (ii) के लिये देखिए सं॰ एल॰टी॰ 1630/91

Notification of the Ministry of Railways

ways the Minister of State in the Ministry of Railways

SHRI BHAKTA CHARAN DAS). Madam, I lay on the Table —

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Railways, under section 199 of the Railways Act, 1989·—

(1) G.S.R. No. 554(E) dated the 7th June, 1990 publishing the Railways (Disposal of Goods not Removed from Notified Railway Stations) Rules, 1989.

(2) G.S.R. No. 558(E) dated the 7th June, 1990 publishing the Railways (Punitive charges for overloading of wagon) Rules, 1990.

(3) G.S.R. No. 595(E) dated the 22nd June, 1990 publishing the Railways (Manner of delivery of consignments and sale proceeds in the absence of railway receipt) Rules, 1990.

(4) G.S.R. No. 600(E) dated the 26th June, 1990 publishing the Railway Rates Tribunal (Procedure) Regulations, 1990.

(5) G.S.R. No. 708(E) dated the 16th August, 1990 publishing the Passengers (Change of Names) Rules, 1990.

(6) G.S.R. No. 763(E) dated the 7th September, 1990 publishing the Cessation of Responsibility (after the Termination of Transit) Rules, 1990.

(7) G S.R No 901(E) dated the 12th November, 1990 publishing the Disposal of Consignment Rules, 1990.

(8) G.S.R. No. 854(E) dated the 23rd October, 1990 publishing the Weighments of consignments (In Wagonload or Train-load) (Amendment) Rules, 1990 *See* No| LT-

II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Railways Notification G.S.R. No. 855(E), dated the 23rd October, 1990, publishing Corrigendum of Notification No. G.S.R. No. 615(E), dated the 3rd July, 1990. [Placed in Library. *See* No. LT-1917|90

I. Report and accounts (1989-90) of the Hindustan Vegetable Oils Corporation Limited, New Delhi and related papers.

II. Report and Accounts (1989-90) of the Bureau of Indian Standards, New Delhi and related papers.

III. Notification of the Bureau of Indian Standards.

IV. Notifications of the Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Civil Supplies).

V. The Central Warehousing Corporation (Second Amendment) Rules 1990

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरदार हुक्म) : महोदया मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:-

I. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) --

(i) 1989-90 के वर्ष के लिये हिन्दुस्तान वेजीटेबल ब्रुआयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का छटा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ii) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय में रखी गई (i) और (ii) के लिये । देखिये सं० एल०टी० 1647/91]

II भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 23 के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):--

(i) 1989-90 के वर्ष के लिये भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

(ii) ब्यूरो के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय में रखी गई (i) और (ii) के लिये देखिये सं० एल०टी० 1948/91]

III. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अधीन भारतीय मानक ब्यूरो की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) —

(1) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और निबंधन (संशोधन) विनियमन, 1990 को प्रकाशित करने वाली सा का नि स 724 (अ), दिनांक 22 अगस्त, 1990 ।

(2) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासन, वित्त, और अन्य मदों पर भर्ती) दूसरा संशोधन विनियमन, 1990 को प्रकाशित करने वाली सा०का नि० स 725(अ) दिनांक 22 अगस्त, 1990 ।

(3) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रयोगशाला तकनीकी पदों पर भर्ती) संशोधन विनियमन, 1990 को प्रकाशित करने वाली सा०का०नि० सं 726(अ), दिनांक 22 अगस्त, 1990 ।

(4) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा की शर्त और निबंधन) (तीसरा संशोधन) विनियमन, 1990 को प्रकाशित करने वाली सा का नि० सं० 808(अ), दिनांक 21 सितम्बर, 1990 ।

(5) चित्रा जे० सिरुर अध्यक्ष, भारतीय उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति, बम्बई का भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति का सदस्य नियुक्त किये जाने के लिये भारतीय मानक ब्यूरो की अधिसूचना स० का०आ० 376 (अ), दिनांक 26 मई, 1989 को संशोधित करने वाली अधिसूचना सा०का०नि० सं० 850(अ, दिनांक 7 नवम्बर, 1990 ।[पुस्तकालय में रखी गई (1) से (5) के लिये देखिये सं० एल०टी० 1645/91]

IV. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन खाद्य और नागरिक पुर्ति मंत्रालय (नागरिक पुर्ति विभाग), की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)—

(1) भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. सं० 2511 दिनांक 17 अगस्त, 1976 को निरस्त करने वाली का आ० सं० 616 (अ) दिनांक 7 अगस्त, 1990 ।

(2) भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मन्त्रालय के का०आ० सं० 1837, दिनांक 14 जून, 1986 के आदेश में कतिपय संशोधन करने वाली का०आ० सं० 617(अ), दिनांक 7 अगस्त, 1990 ।

(3) भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के का आ० सं० 2878 दिनांक 22 अगस्त, 1968 के आदेश में कतिपय संशोधन करने वाली का०आ० 618(अ), दिनांक 7 अगस्त, 1990 ।

(4) भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के का०आ० सं० 84, दिनांक 5 जनवरी, 1967 के आदेश में कतिपय संशोधन करने वाली का०आ०सं०० 619(अ) दिनांक 7 अगस्त, 1990।

(5) भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के का०आ० सं० 2135 दिनांक 15 जुलाई, 1966 के आदेश में कतिपय संशोधन करने वाली का० आ० सं० 620 (अ) दिनांक 7 अगस्त, 1990।

(6) सीमेंट के खुदरा वितरण के लिये आवश्यक लाइसेंस को समाप्त करने के बारे में पूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग) द्वारा जारी का०आ० सं० 681 (अ) दिनांक 30 नवम्बर, 1974 के आदेश में संशोधन करने वाली का०आ० सं० 624(अ) दिनांक 7 अगस्त 1990।

(7) दाल, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1990 को प्रकाशित करने वाली का०आ० सं० 711 (अ) दिनांक 13 सितम्बर, 1990। [पुस्तकालय में रखी गई (1) से (7) के लिये देखिये सं० एल०टी०1691/44]

V केन्द्रीय भंडारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 41 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय भाँडागारण निगम (दूसरा संशोधन) नियम, 1990 को प्रकाशित करने वाली खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग), अधिसूचना सा०का० सं० नि० 836(अ) दिनांक 11 अक्तूबर, 1990 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी)। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये सं० एल०टी० 1646/91]

I. Report and Accounts (1989-90) of the National Federation of State Co-operative Banks Limited, Bombay and related papers.

II. Report and Accounts (1989-90) of the Indian Institute of Tourism and Travel Management, New Delhi and related papers.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JAYANTILAL VIRCHANDBHAI SHAH): Madam, on behalf of Shri Devi Lal, lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) (a) Twenty-seventh Annual Report of the National Federation of State Cooperative Banks Limited, Bombay, for the year 1989-90.

(b) Annual Accounts of the National Federation of State Cooperative Banks Limited, Bombay, for the year 1989-90 and the Auditors' Report thereon

(c) Review by Government on the working of the Federation [Placed in Library *See* No LT-1650/91 for (a) to (c)]

(ii) (a) Eighth Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Tourism and Travel Management, New Delhi, for the year 1989-90, together with the Auditors' Report on the Accounts ?

(b) Review by Government on the working of the Institute. [Placed in Library *See* No. LT-1573/90 for (a) and (b)]

I. Report and Accounts (1988-89) of the Rajasthan State Dairy Development Corporation Limited, Jaipur and related papers

II. Report and Accounts (1989-90) of the National Dairy Development Board, Anand and related papers.